117

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1459-तीन/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-7-2006- पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 216/2005-06 निगरानी

1- महिला सॅखी पुत्री बाबूलाल सिंह बैस
ग्राम बांधी तहसील मझगवां जिला सतना ----आवेदक

विरूद्ध

1- लल्लासिंह फोत पुत्र गजराज सिंह वारिस
अ- सुरेन्द्रसिंह ब- अरबिन्द स- नरेन्द्र
द- राजासिंह पुत्रगण स्व. लल्लासिंह
सभी निवासी ग्राम बांधी तहसील मंझगवा जिला सतना
क- श्रीमती नीलम सिंह पत्नी राजूसिंह पुत्री स्व. लल्लासिंह
ख- श्रीमती अनितासिंह पत्नि पप्पूसिंह पुत्री स्व. लल्लासिंह
निवासी ग्राम गड़हरी तहसील गडहरी जिला महोवा उ.प्र.
2- म0प्र0शासन ----आवेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

(अनावेदक -2 के पैनल लायर श्री आर पी पालीवाल)

(अनावेदक क-1 के वारिसान सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18-07- 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 44/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-1998 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि लल्ला सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी बांधी ने कलेक्टर सतना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम बांधी स्थित कुल किता 15 कुल रकबा 19-05 एकड के भूमिस्वामी/ सहखातेदार उसके भाई गुलाब सिंह थे , जो बेओलाद मर गये । नायव तहसीलदार वृत्त

जैतवारा ने प्रकरण कमांक 41 अ 6/97-98 में आदेश दिनांक 22-6-98 से मृतक गुलाब सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश दिये, किन्तु हलका पटवारी ने इस आदेश का उल्लेख करके सर्वे नंबर 1206 के रकबा 4-99 एकड़ महिला सॅखी पुत्री बाबूलाल सिंह का नाम अंकित कर दिया गया, जिसकी जांच कराई जाकर रिकार्ड दुरूस्त कराया जाय। कलेक्टर ने आवेदन पत्र नायव तहसीलदार को जांच हेतु प्रेषित किया। नायव तहसीलदार ने उभय पक्षों को सुनवाई हेतु तलब किया। महिला संखी पुत्री बाबूलाल ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 का आवेदन नायव तहसीलदार को प्रस्तुत किया, जिस पर से नायव तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को पुनरावलोकन की अनुमति प्रस्ताव प्रस्तुत किये। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29-3-2004 से पुनरावलोकन प्रस्ताव अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व महिला संखी पुत्री बाबूलाल ने अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 270/04-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-5-05 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-3-04 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर प्रकरण का परीक्षण एंव सुनवाई करें तदुपरांत विधिवत् आदेश पारित करें।

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 1/05-06 पुनरावलोकन में हितबद्धों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 14-12-05 पारित किया तथा नायव तहसीलदार को पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान कर दी। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला सतना ने प्रकरण कमांक 10/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-1-2006 से निगरानी निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 14-12-05 को यथावत् रखा। कलेक्टर जिला सतना के आदेश दिनांक 9-1-2006 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष लल्ला सिंह

पुत्र गजराज सिंह ने निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 216/05-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-7-2006 से अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दि. 14-12-05 एंव कलेक्टर जिला सतना का आदेश दि. 9-1-2006 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र-1 के वारिसान सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं।

4/ आवेदक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि प्रकरण में विवाद यह है कि ग्राम बांधी स्थित कुल किता 15 कुल रकबा 19-05 एकड के भूमिस्वामी/ सहखातेदार गुलाब सिंह थे जो बेओलाद मरे। नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा ने प्रकरण कमांक 41 अ 6/97-98 में परित आदेश दिनांक 22-6-98 से मृतक गुलाब सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश दिये थे, किन्तु हलका पटवारी ने इस आदेश का उल्लेख करके सर्वे नंबर 1206 के रकबा 4-99 एकड़ महिला सॅखी पुत्री बाबूलाल सिंह का नाम अंकित कर दिया गया, जिसकी रिकार्ड दुरूस्ती हेतु मूल मामला प्रारंभ होने पर सुनवाई के समय महिला संखी पुत्री बाबूलाल के म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 का आवेदन दिया, जो नायव तहसीलदार के आदेश के पुनरावलोकन पर आधारित है एंव नायव तहसीलदार व्दारा प्रस्तुत पुनरावलोकन अनुमति के प्रस्ताव को अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण कमांक 1/2005-06 पुनरावलोकन पारित आदेश दिनांक 14-12-05 से अनुमोदित किया है अर्थात नायव तहसीलदार को पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की है। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के पुनरावलोकन अनुमति आदेश दिनांक 14-12-05 को कलेक्टर सतना ने आदेश दि.9-1-06

से उचित होना ठहराया है जबकि अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 44/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-1998 से अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के पुनरावलोकन अनुमति आदेश दिनांक 14-12-05 को एंव कलेक्टर सतना के निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-1-2006 को निरस्त किया है। इन तीनों न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 14-10-1998 के प्रभावी रहने पर तहसीलदार वृत्त जैतवारा के प्रकरण कमांक 41 अ 6/97-98 में पारित आदेश दिनांक 22-6-98 यथावत् रहेगा, जबकि मूल मामला हलका पटवारी के नायव तहसीलदार के आदेश का गलत उल्लेख करके सर्वे नंबर 1206 के रकबा 4-99 एकड़ महिला सॅखी पुत्री बाबूलाल सिंह का नाम का गलत अंकन कर देने से रिकार्ड दुरूस्ती पर आधारित है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 14-10-1998 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 14-10-1998 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 44/1991-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-1998 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा क्षेत्रीय तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि यह मामला वर्ष 1998 से विभिन्न न्यायालयों लम्बित रहने के कारण विलम्ब हुआ है जिसके कारण क्षेत्रीय तहसीलदार पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर मामले का अंतिम निराकरण 90 दिवस के भीतर करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर